②

दिनांक : २० .04.2022

F.I.R.

(CR.P.C. 154)

प्रथम खबर

(फौजदारी कायदा कलम 154 अन्वये)

प्रति,

थाना-प्रभारी
पुलिस थाना - टोंकखुर्द,
जिला देवास, मध्यप्रदेश

महोदय,

मैं चरण पिता मंदरूप [पताः ग्राम - पान्दा, तहसील - टोंकखुर्द, पुलिस थाना - टोंकखुर्द, जिला देवास, मध्यप्रदेश – 455001 (मोब. 74402-50584)] सबूतों के साथ गुनाह की खबर दे रहा हूँ।

A. <u>गुनाह की खबर देने वाले का नाम व पताः</u> **चरण पिता मंदरूप**
पताः ग्राम - पान्दा, तहसील - टोंकखुर्द, पुलिस थाना - टोंकखुर्द, जिला देवास, मध्यप्रदेश - 455001
मोब. 74402-50584

B. <u>आरोपी का नाम व पताः</u>

आरोपी नं. 1) आर.एस. दांगी
तत्कालीन थाना-प्रभारी, पुलिस थाना टोंकखुर्द, जिला देवास
(दिनांक 15.3.2021 से थाना हाटपिपल्या में पदस्थ)

आरोपी नं. 2) कैलाश मंडलोई
तत्कालीन ASI, पुलिस थाना टोंकखुर्द, जिला देवास

आरोपी नं. 3) राजेश लवानिया
तत्कालीन कंप्यूटर ऑपरेटर, पुलिस थाना टोंकखुर्द, जिला देवास

और अन्य पुलिसकर्मी

C. <u>गुनाह करने की तारीखें:</u>

1. दि. 07.11.2020 के दिन दोपहर के लगभग 12 बजे के आसपास हमारे साथ टोंकखुर्द पुलिस थाने में मारपीट की गई व जातीसूचक गाली-गलौच किया गया और IPC की धारा 151 के तहत झूठी शिकायत दिखाकर गिरफ्तार करके जेल भेजा गया।

D. <u>गुनाह के ठिकानाः</u> पुलिस थाना टोंकखुर्द, जिला देवास, मध्यप्रदेश

E. <u>गुनाह :</u> **1. ब्यान के बहाने थाने बुलाकर मारापीटा और जातीसूचक गालियाँ दीं साथ ही झूठी शिकायत दिखाकर IPC की धारा 107 के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजा।**

2. गुनाह किस प्रकार किया गया :

a. दिनांक 13.10.2020 को एस.पी. व कलैक्टर साहब को दी गई शिकायत की वजह से बयान दर्ज करने के लिये टोंकखुर्द पुलिस थाने के कैलाश मंडलोई ने थाने बुलाया जिसकी वजह से 07.11.2020 के दिन दोपहर सुनीता पति चरण सिंह, चरण पिता मंदरूप और नागेश्वर पिता विक्रम सिंह टोंकखुर्द पुलिस थाने पहुँचे जहाँ शिकायतकर्ताओं के बयान नहीं लिये गये बल्कि चरण पिता मंदरूप और नागेश्वर पिता विक्रम सिंह के साथ मारपीट की गई व उन्हें जातीसूचक गंदी-गंदी गालियाँ दी गई। उस जगह पर विरोधी पक्ष [जसोदा बाई पति मंदरूप; बलवान पिता देवीलाल; माया पति बलवान; नर्मदा पति स्व. ईश्वर; अंकित पिता ईश्वर] भी मौजूद थे साथ ही आरोपी पुलिस कर्मचारी/अधिकारी [आरोपी नं. 1 तत्कालीन आर.एस. दांगी; आरोपी नं. 2 ASI कैलाश मंडलोई; आरोपी नं. 3 कम्प्यूटर ऑपरेटर राजेश लवानिया] मौजूद थे।

b. अशिक्षित चरण पिता मंदरूप से टाईपशुदा दस्तावेज़ को डरा-धमकाकर जबरदस्ती, बिना पढ़ाए उसपर अंगूठा लगवाया।

c. IPC की धारा 151 के तहत केस बनाकर तहसील में पेश किया।

d. नागेश्वर पिता विक्रम सिंह की मोटरसाईकल बिना पंचनामा किये टोंकखुर्द पुलिस थाने में जमा कर ली गई।

e. चरण पिता मंदरूप और नागेश्वर पिता विक्रम सिंह के पर्स व मोबाईल बिना पंचनामा किये टोंकखुर्द पुलिस थाने में जमा कर लिये गये।

F. <u>किये गये गुनाह की धारा :</u> **IPC की धाराओं 166, 166A, 420, 120(b), 34 व अन्य के तहत**

G. <u>हकीकत:</u>

दि. 07.10.2020 के दिन जो आपराधिक घटना चरण पुत्र मंदरूप व सुनिता पति चरण के साथ उनके घर पर घटित हुई थी उसकी शिकायत दिनांक 13.10.2020 के दिन चरण पुत्र मंदरूप ने एस.पी. व कलैक्टर साहब को शिकायत की थी। उस शिकायत पर बयान दर्ज करने के लिये टोंकखुर्द पुलिस थाने के कैलाश मंडलोई ने दि. 06.11.2020 के दिन प्रार्थी के ससुरजी विक्रम को लगभग 3 बजे फोन करके कहा कि, "सुनिता और चरण को थाने पर लेकर आओ इनके बयान लेने हैं" तब विक्रम जी ने कहा कि, "सर आज तो शाम होने वाली है कल आ जायेंगे" कैलाश मंडलोई जी ने कहा कि, "ठीक है"। दो घंटे बाद फिर से कैलाश मंडलोई ने विक्रम जी (प्रार्थी के ससुरजी) को फोन किया और कहा कि, "तुम लोग अभी आ जाओ" तब विक्रम जी ने कहा कि, "सर अब रात हो गई सुबह आयेंगे" तो कैलाश मंडलोई ने कहा कि, "तुम इनको लेकर अभी आओ" तब विक्रम जी ने कहा "सर अब तो 5 बज गये हैं, सर अभी

कैसे आयेंगे, इनके पास आने जाने का कोई साधन नहीं है साहब, सुबह लेकर आ जायेंगे"। जिसके बाद दि. 07.11.2020 की सुबह 10 बजे फोन कैलाश मंडलोई का विक्रमजी को फोन आया और कहा कि, "चरण और सुनिता को लेकर आओ जल्दी इनके बयान लेना है"। प्रार्थी के पास आने-जाने का कोई साधन नहीं इसलिये प्रार्थी ने नागेश्वर (पत्नि सुनीता का भाइ) पिता विक्रम को फोन करके अपने घर (पांदा) बुलाया, नागेश्वर मोटरसाइकिल लेकर ग्राम पांदा आया और पांदा से हम तीनों (प्रार्थी, सुनिता पति चरण और नागेश्वर) 07.11.2020 के दिन दोपहर के लगभग 12 बजे के आस-पास टोंकखुर्द पुलिस थाने पहुँचे व थाने के सामने गाड़ी रख दी और करीब 12 बजे पुलिस ने हमें जोर से आवाज दी "ओय इधर आओ"। नागेश्वर ने अपने मोबाईल में ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू की और प्रार्थी को दे दिया जिसे प्रार्थी ने अपनी पेंट की जेब में रख लिया। फिर हम लोग पुलिस थाने के अन्दर गये तो वहाँ पर प्रार्थी की माताजी जशोदा बाई, बहनोई बलवान, बहन माया बाई, बहु नर्मदा बाई (छोटे भाई की पत्नि) व उसका लड़का हेमराज आदि पहले से मौजूद थे। उसके बाद पुलिस वालों ने हम लोगों के कोई बयान दर्ज नहीं किये बल्कि थाना-प्रभारी आर.एस. दांगी, ए.एस.आई. कैलाश मंडलोई व कंप्यूटर ऑपरेटर राजेश लवानिया और अन्य पुलिसकर्मियों ने प्रार्थी व नागेश्वर के साथ मारपीट की और जातिसूचक गालियाँ दीं। इसके एक घंटे बाद प्रार्थी ने धीरे से मोबाईल पत्नि सुनीता को दे दिया। इसके बाद प्रार्थी को बिना पढवाये व सुनाये टाइपशुदा पेपर पर उसे डरा-धमकाकर जबरदस्ती अंगूठा लगवाया गया जिसमें झूठा ब्यान लिखा था और 151 का केस बनाकर तहसील में पेश किया जहाँ पर तहसीलदार मौजूद नहीं थे। 151 का केस दर्ज करने के बाद बिना पंचनामा किए नागेश्वर की मोटरसाईकल पुलिस थाने में जमा कर ली गई और दोनों (प्रार्थी व नागेश्वर) के मोबाईल व नागेश्वर का पर्स भी जमा कर लिया। जिसके बाद पुलिस दोनों (प्रार्थी व नागेश्वर) को थाने ले गई जहाँ टी.आई. ने कहा "इनको ले जाओ" जिसके बाद दोनों (प्रार्थी व नागेश्वर) को लेकर पुलिस, जेल जा रही थी तभी रास्ते में देवास बाय-पास, सिद्धी विनायक होटल के पास गाड़ी रोकी गई वहाँ पर तहसीलदार/कार्यपालक दण्डाधिकारी, तहसील टाँकखुर्द, जिला - देवास मौजूद थे उनसे उसी वक्त जेल वारंट पर बिना सुनवाई व अदालत के सड़क पर ही पुलिसकर्मियों द्वारा हस्ताक्षर करवाये गए जिसके बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया वहाँ कोरोना की जाँच कराई फिर जेल ले गये।

संबंधित मामले में भ्रष्ट पुलिसकर्मियों/अधिकारियों के विरुद्ध IPC की धाराओं 166, 166A, 420 व अन्य के तहत FIR दर्ज करते हुये कार्यवाही शुरू की जाये जिन्होंने अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदारी नहीं रखी और भ्रष्टाचार करते हुए अपराधियों को बचाने का कार्य किया, प्रार्थी व उनके साथियों के साथ गाली-गलौच व मारपीट की।

चरण पिता मंदरूप

मोब. 74402-50584

<u>संलग्न दस्तावेज़ :</u>

1. दि. 19.11.2020 का शिकायत-पत्र

भारतीय डाक
India Post

EI030580618IN IVR:6973030580618
SP TARANA S.O <456665>
Counter No:3,20/04/2022,11:36
To:THANA INCHARG,THANA TONK KHURD
PIN:455001, Dewas H.O
From:CHARAN,PANDA TONK KHURD
Wt:30gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30

<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक
India Post

EI030580666IN IVR:6973030580666
SP TARANA S.O <456665>
Counter No:3,20/04/2022,11:36
To:THANA INCHARGE,THANA TONKKHURD
PIN:455001, Dewas H.O
From:CHARAN,PANDA TONK KHURD
Wt:30gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
<Track on www.indiapost.gov.in>

<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक
India Post

EI030580697IN IVR:6973030580697
SP TARANA S.O <456665>
Counter No:3,20/04/2022,11:36
To:THANA INCHARGE,THANA TONKKHURD
PIN:455001, Dewas H.O
From:CHARAN,PANDA TONK KHURD
Wt:30gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
<Track on www.indiapost.gov.in>

प्रति,

श्रीमान आई जी महो

उज्जैन

विषय :– षडयन्त्रकारी व्यक्तियो के द्वारा प्रार्थी को जातिसूचक शब्द से अपमानित करने एवं झुठी कार्यवाही कर जेल में भेजने के संबंध में दोषी व्यक्तियो के विरूद्ध कार्यवाही कर दंडित करने बाबद् ।

17-11-2020

माननीय महोदय,

सेवा में निवेदन हैं कि मुझ प्रार्थी के जमाई चरण पिता मदरूप व लड़की सुनिता के परिवार में भूमि संबंधी पैत्रक सम्पत्ति का विवाद बलवान, यशोदाबाई नर्मदाबाई, मायाबाई ,अंकित पिता ईश्वर द्वारा दिनांक 07/10/2020 को घर में घुसकर प्राणघातक हमला किया जिसकी रिपोर्ट जिलाधीश महोदय देवास को दिनांक 13/10/2020 को की थी ,उक्त रिपोर्ट के संबंध में बयान देने हेतु मेरे पुत्र नागेश्वर व जमाई चरण पिता मंदरूप को उसके संबंध में बयान देने के लिये थाना टोकखुर्द के टी.आई.श्री कैलाशजी मण्डलोई द्वारा मेरे पुत्र नागेश्वर व जमाई चरण को धौस देकर और मारपीट करके और यह कहा कि बल्लाटो तुम्हारी मॉ की चुत हम कहते हैं ऐसा क्यो नही करते हो ,जमीन का समझौता कर लो नही तो इतने मुकदमे लगा दुंगा कि जेल में ही सड़ सड़ के मर जाओगे ,इसका भी मोबाईल में प्रमाण के रूप में विडीया किया गया हैं जो वक्त जरूरत न्यायालय या वरिष्ठ अधिकारीयो के समक्ष पेश किया जावेगा , इसके बावजुद जब पुलिस व्यवस्था एवं सहायता हेतु डायल 100 पर पुलिस से निवेदन किया गया तो डायल 100 पर आने वाली पुलिस ने भी टि.आई.मण्डलोई के कहने में आकर जाति सूचक शब्दो बल्लोटो तुम्हारी मॉ की चुत तुमने धामा मचा रखा और पुलिस को बार बार परेशान कर रहे हो मान जाओ नही तो एनकाउन्टकर कर दुंगा । उसके बाद भी मण्डलोई ने पुलिस कायमी कर मेरे

१२१७१२०

23

19/11/2020

आवक लिपिक
कलेक्टर कार्यालय
जिला देवास (म.प्र.)

निरन्तर – 2 पर ———

19-11-2020

विक्रम

जमाई चरण पिता मंदरूप व मेरे पुत्र नागेश्वर पिता विक्रम के खिलाफ गिरफतारी की कार्यवाही की और मुझे इसकी सूचना दी गई तो मैं जमानत देने के लिये टोकखुर्द गया तो टि.आई. मण्डलोई ने कह दिया कि तहसीलदार यहां पर नही रहता हैं तीन दिन बाद आना जमानत बाद में होवेगी , इस प्रकार तीन दिनो तक जेल में रखा और जमानत नही होने दी और मान सम्मान गिराया और शारीरीक प्रताड़ना देकर जेल में मारपीट की गई , इस प्रकार हम हरिजनो के साथ में किये गये अत्याचारो की जॉच निष्पक्ष अधिकारीयो से करवाकर दोषी व्यक्तियो को दंडित करवाने की कृपा करें । और जबरन मार पिट कर राजिनामा पर अंगुठा करवा लिया

अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि अति शीघ्रातिशीघ्र जॉच करवाकर वैधानिक कार्यवाही कर दंडित करवाने की कृपा हो ।

इति,दिनांक – 19/11/2020

हस्ताक्षर प्रार्थी

विक्रम

संलग्न :–

जाति प्रमाण–पत्र एवं आधार कार्ड की फोटोप्रति ।

विक्रम पिता भेराजी जाति बलाई
निवासी मदराखेड़ा पोस्ट काठबड़ोदा
तहसील तराना जिला उज्जैन
मोबाईल नम्बर – 8463892148

आधार नम्बर – 8638 7266 9960